	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व विप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। दोनो पक्षो की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि,विप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का अकृषि गैर कानूनी आवसीय कॉलोनी का संचालन नहीं किया जा रहा है विप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर फसल उत्पादान,पौधारोपण ,नर्सरी तैयार करने,बकरी पालन एवं कृषि सम्बन्धी विप्रार्थीगण विवादित भूमि के रेकडेर्ड खातेदार है, विधिनुसार रेकडेर्ड खातेदार को बिना सुने स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षति के तीनो बिन्दु विप्रार्थीगण के पक्ष में लिहाजा अज अदालत द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को अपास्त किया जावे। विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तथ्यों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः– 1. 2017 (1) RRT 522 KISHANRAM & ORS VS GOMATI & ORS. 2. 2016 (2) RRT 1144 NASEEB KAUR VS RAMESHWARI DEVI & ORS. 3. 2018 (2) RRT 1275 BHAGIRATH VS RAMCHANDRA & ORS. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर अकृषि कार्य किया जाकर अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी का संचालन किया जा रहा है। यदि विप्रार्थी बिना किसी सक्षम आदेश के कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कारित करेगा तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को दौराने वाद निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। हमने दोनो पक्षो के बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अध्ययन व मनन किया । राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण विवादित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। विप्रार्थीगण को उसके रकबे के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है । विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पूर्णतया चस्पा होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर मुताबिक नियम दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:11:23 IST
Reason: SelfAttested